E ⑤

# पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

Ref. No. U.O.P./Exam/2022/598 Date: 13/01/2022

## नोट

माननीय कुलपति परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्यश्री की अध्यक्षता में 12.01.2022 को सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय हुआ कि परीक्षा सम्बन्धी सभी विषयों पर संसोधन हेतु विचार के लिए एक समिति गठित की जाये, इस सम्बन्ध में **"परीक्षा विषयक संसोधन समिति"** के गठन का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है –

1. डॉ. साध्वी देवप्रिया, कुलानुशासिका, संकायाध्यक्षा एवं विभागाध्यक्षा– दर्शनशास्त्र विभाग, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
2. श्री ललित मोहन, वित्त अधिकारी, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
3. डॉ. निर्विकार, उप–कुलसचिव, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
4. श्री ऋषि जी, व्यक्तिक सहायक, मा0 कुलपति महोदय, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
5. डॉ. नरेन्द्र सिंह, असि. प्रोफेसर, सहायक परीक्षा नियन्त्रक, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
6. डॉ. अभिषेक भारद्वाज, असि. प्रोफेसर, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

अधोहस्ताक्षरी उपरोक्त समिति के 'संयोजक' के दायित्त्व का निवर्हन करेंगे।

13/01/2022
**(वी. सी. पाण्डेय, IAS (Retd.))**
परीक्षा नियन्त्रक
पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

स्वीकृत्यर्थ माननीय कुलपति महोदय की सेवार्थ प्रस्तुत
13/01/22

**मा0 प्रति–कुलपति महोदय**

**मा0 कुलपति महोदय**

# पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

## बैठक की कार्यसूची –

**1. Year Back :–**

i. विभिन्न पाठ्यक्रमों में छः माह के सेमेस्टर के अनुसार परीक्षाएं आयोजित की जाती है और उनका परिणाम निम्न तीन श्रेणी में घोषित किया जाता है –

(A) पास (B) प्रोन्नत (C) अनुत्तीर्ण

ii. परीक्षा परिणाम 02.02.2017 को अनुमोदित नियमों के तहत किया जाता है। नियम संलग्न है।

iii. अनुत्तीर्ण श्रेणी में आने वाले परीक्षार्थियों हेतु (detain/year back) के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई नियम लागू न होने से विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से वर्तमान सत्र तक अनुत्तीर्ण छात्र–छात्रा अगले सेमेस्टर का शुल्क जमा कर कक्षाओं में बैठना/पढ़ना शुरू कर देते हैं। अतः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद छात्रों को अगले सेमेस्टर की कक्षाओं में पढ़ने से रोका नहीं गया। इसे दूर करने हेतु कुछ प्रपत्रों का अनुमोदन आवश्यक है।

(A) विद्यार्थियों अगले सेमेस्टर में पंजीकृत होने हेतु एक प्रपत्र भर कर सम्बन्धित अधिकारी से स्वीकृति अनुमोदन के बाद ही वित्त विभाग द्वारा शिक्षण शुल्क जमा किया जाय।

(B) विद्यार्थी प्रवेश/पंजीकृत होने के एक माह बाद परीक्षा हेतु फार्म भरे और अपनी पूर्व सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र लगायें।

(C) प्रत्येक छात्र को सेमेस्टर परीक्षा की अंकतालिका जारी की जाये।

(D) जिन प्रश्न–पत्रों में विद्यार्थी पुनः परीक्षा देता है उन्हीं प्रश्न–पत्रों के प्राप्तांकों की अंक तालिका जारी की जाये।

(E) पूरे पाठ्यक्रम के अन्तम में एक Consolideted अंक तालिका जारी की जाये। अंक तालिका में आन्तरिक एवं सैद्धान्तिक अंक को अलग से दर्शाया जाये

iv. विश्वविद्यालय में Year Back के सम्बन्ध में स्पष्ट नियम उपलब्ध नहीं है। अतएव यह प्रस्तावित है कि विभिन्न विश्वविद्यालय में लागू परीक्षा नियमों को प्राप्त कर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अच्छे नियमों को तैयार कर BOM/ एकेडमिक काउसिल से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

2. विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 01 अप्रैल 2021 में विद्यार्थियों को दी जाने वाली उपाधि का प्रारूप मा. कुलपति महोदय ने अनुमोदित किया था। यह दीक्षांत समारोह वैश्विक महामारी 'कोरोना' के कारण न होने से और विश्वविद्यालय में अवकाश व कोविड के कारण लॉकडाउन के फलस्वरूप इसके प्रारूप का BOM/एकेडमिक काउसिल द्वारा अनुमोदन नहीं हो पाया था अतः उपाधि का प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

# Brief Note of Agenda

1. वि. वि. में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 'सम–विषम' सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं। परीक्षा परिणाम परीक्षा नियम 02.02.2017 में पूज्य आचार्यश्री द्वारा स्वीकृत नियमों के तहत निर्मित व अनुमोदित होने बाद घोषित किये जाते रहे हैं। इन नियमों में निम्न संसोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है –

   i. न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 36% से बढ़ाकर 40% किये गये है परन्तु इस नियम का प्रयोग प्रश्न–पत्र या विषय पर किया जायेगा यह स्पष्ट न होने से बी.ए. योग विज्ञान के पाठ्यक्रम में इस नियम का प्रयोग प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण हेतु व अन्य पाठ्यक्रमों में प्रत्येक प्रश्न–पत्र में उत्तीर्ण हेतु प्रयुक्त होता रहा है। इस नियम को सामान्यरूप से लागू किये जाने की आवश्यकता है।

   ii. इन्हीं नियमों के नियम संख्या 2.1 के अनुसार मुख्य परीक्षा में प्रश्न–पत्र में न्यूनतम 25% अंक प्राप्त किया जाना नियत है।

   iii. नियम संख्या 2.2 को बी.एस–सी. योग विज्ञान में स्पष्टता लागू करने हेतु 24 मई–2017 को अलग से जारी की गयी।

   नियम 2.3 के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण प्रश्न–पत्रों में उत्तीर्ण होने हेतु पुनर्परीक्षा के दो अवसर प्रदान किये गये है; जो छात्र प्रथम सेमेस्टर व द्वितीय सेमेस्टर में नियम 2.2 के अनुसार प्रोन्नत हुए है उन्हें पुनर्परीक्षा द्वारा अनुर्त्तीण प्रश्न–पत्र में उर्त्तीण होने के लिए न्यूनतम अंक पाठ्यक्रम के चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन से पहले प्राप्त करने होंगे।

   इसी प्रकार जो विद्यार्थी तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर में पुनर्परीक्षा के अवसर के साथ प्रोन्नत किये गये है उन्हें अनुर्त्तीण वह प्रश्न–पत्रों में पुनर्परीक्षा के माध्यम से न्यूनतम अंक प्राप्त किये बिना पाठ्यक्रम के षष्ठ सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त नहीं होगा और वह पुनर्परीक्षा के सभी-अवसरों में भी उर्त्तीण न होने पर अनुत्तीर्ण घोषित होते हुए प्रथम सेमेस्टर में नए सिरे से प्रवेश लेंगे।

   इन नियमों का पालन पूर्व में नहीं किया गया और अनुत्तीर्ण छात्र भी अगले सेमेस्टर की कक्षाएं पढ़ते हुए पुनर्परीक्षा के माध्यम से प्रश्न–पत्रों में उत्तीर्ण होने का प्रयत्न करते हुए पाठ्यक्रम पूर्ण करते रहे हैं। इससे छात्रों में पुनर्परीक्षा द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। (छात्रों को प्रत्येक प्रश्न–पत्र में पुनर्परीक्षा द्वारा अल्प शुल्क देकर तीन बार (गोल्डन चांस सहित) पास करने की छूट होती है) और उसके परीक्षा परिणाम में श्रेणी पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

# पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

दिनांक-28.1.2022

## MINUTE

परीक्षा विषयक संशोधन समिति की बैठक विश्वविद्यालय के सभागार कक्ष में दिनांक 25.1.2022 को 11:00 बजे सम्पन्न हुई। जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे-

1. डॉ. साध्वी देवप्रिया, कुलानुशासिका, संकायाध्यक्षा एवं विभागाध्यक्ष-दर्शनशास्त्र विभाग, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
2. श्री ललित मोहन, वित्त अधिकारी, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार। 01/2/2022
3. डॉ. निर्विकार, उप-कुलसचिव, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
4. श्री ऋषि जी, व्यक्तिक सहायक, मा. कुलपति महोदय, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
5. डॉ. नरेन्द्र सिंह, असि. प्रोफेसर, सहायक परीक्षा नियन्त्रक, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
6. डॉ. अभिषेक भारद्वाज, असि. प्रोफेसर, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
7. डॉ. के. एन. एस. यादव (Advisor) परामर्शदाता Special invite बैठक में उपस्थित रहे।

वी.सी. पाण्डेय, IAS (Retd.) परीक्षा नियन्त्रक, समिति के संयोजक ने समिति की अनुमति से बैठक की कार्यवाही शुरू करते हुए कर्मवार एजेण्डा आईटम लिए जिनमें विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्नवत फैसला लिया गया।

### एजेण्डा-1 - Year back

1. Yearback का निर्णय सत्र के सम और विषम सेमेस्टर में छात्रों के परिणाम के आधार पर किया जाएगा। जो छात्र सत्र के दोनों सेमेस्टर में अनुर्तीण होंगे, उन्हें ईयरबैक के तहत पुनः प्रवेश लेना होगा।
2. परीक्षा परिणाम हेतु पूर्व में बनाये गये नियमों दिनांक-2.2.2017 का अवलोकन किया गया। और निम्न संशोधन संस्तुत किये गये-

4. (i) प्रत्येक पाठ्यक्रम को निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने पर Ex-छात्रों को अधिकतम 2 वर्ष का अतिरिक्त समय पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टरों के सभी प्रश्नपत्रों में पास होने हेतु उपलब्ध होगा।

(ii) एक वर्षीय सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स निर्धारित अवधि में न पास करने पर अधिकतम 1 वर्ष का अतिरिक्त समय पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टरों के सभी प्रश्नपत्रों में पास होने हेतु उपलब्ध होगा।

## एजेण्डा-2 - उपाधि

5. प्रथम दीक्षांत समारोह (convocation) में छात्रों को प्रदान की गयी उपाधियों के प्रारूप का समिति ने अवलोकन किया।

**वी.सी. पाण्डेय, IAS (Retd.)**

परीक्षा नियन्त्रक

सूचनार्थः- समिति के माननीय सदस्य